



- ✓ संस्था में समुदाय प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित परीक्षा को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटी के दिनांक पर जाने की तिथि में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को सफल-समय पर निर्गत छात्रागणों के अनुसूचित निरीक्षण एवं सम्बद्धता सुनिश्चित करने का काम करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०टी०आई०/पीएल०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुसूचित प्रवेश किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कल्पित एवं विभिन्न/विद्यार्थी/अभिलेखित/शासनादेशों/निदेशों एवं विदेशिक/प्रतिष्ठित शिक्षा, उ०प्र०, समुदाय प्रवेश परीक्षा परिषद, राष्ट्रीय प्रतिष्ठित शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा कल्पित एवं विभिन्न/विदेशिक, अदेशों, निदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ विद्यार्थी इन आगामी कार्यक्रमों को सम्बद्ध परिषदों/सीटीआई, नई दिल्ली से अनुसूचित प्रवेश करने में उत्सुक रहनी है ता इन संस्था में सफल उपासनात्मक संस्था का होगा और विदेशिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था सारा प्रारंभिक होगी। प्रतिष्ठित शिक्षा परिषद, समुदाय प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रतिष्ठित शिक्षा विभाग/उत्तर प्रदेश शासन एवं प्रतिष्ठित शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को नई एवं उत्तर किया जाता है जब उत्तर पर ही संस्था में न. पदावली द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी कार्यवाही निर्गत किया जाता है तो संस्था प्रतिपूर्ति संबंधी संस्था को करनी होगी।
- ✓ विद्यार्थी इन आगामी कार्यक्रमों को सम्बद्ध परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यालय प्रारंभ होने के पूर्व पी०आई०आई० से अनुसूचित प्रवेश कर परिषद कार्यवाही को सफल बनाना होगा संस्था सभी प्रवेश की (कार्यालय के माध्यम से संस्था संस्था सत्र पर सीटी प्रवेश) अनुसूचित नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत माध्यम आसक्त नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की दृष्टिकोण, प्रतिष्ठित, सफल, सफल-समय, प्रारंभिक, प्रारंभिक जाने वाला सुनिश्चित, आसक्त सुनिश्चित आदि का निरंतर अपडेट करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षा-प्रतिष्ठित हेतु उपयुक्त पदावली अपडेट करने के साथ रीजिस्ट्रार को संस्था में सफल आवश्यक आवश्यक सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रत्येक/संयोजित कार्यक्रम को कल्पित करने हेतु निरीक्षण समिति को संस्था अपडेट करनी एवं अभिलेख, पुनः-समय, समीक्षा, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किसी अन्य कार्यक्रम के सफल में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की सम्बद्धता सफल करने को अनुसूचित की जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता सत्रों का अनुपालन न किये जाने अथवा सत्रों का उत्सव किये जाने की शिथिल में निरन्तर अनुसूचित कार्यवाही की जाएगी।

(सा आ०आई०) शिक्षा  
सचिव

पुस०- प्राथम/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1972-3141

तददिनांक: 15-09-2020

प्रतिष्ठित-उपासना/निदेशक, सीटीआई शिक्षा संस्थान (एच०डी०) एच० टी०आई०) रायपुर, रायपुर।

(सा आ०आई०) शिक्षा  
सचिव

PROFESSOR  
SCHOOL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY  
ESTD 1972

कार्यालय,सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

:-कार्यालय आप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक वर्ष 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प्रो लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य नदों पर विचार करते हुए वर्ष 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प्रो लखनऊ द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2245-SITAPUR SHIKSHA SANSTHAN (SCHOOL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY), RASYORA, SITAPUR

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	60	60
4	ELECTRONICS ENGINEERING	30	30

## सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवासी 1992, सेमेस्टर विनियमवासी-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक इजी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹0-

PRINCIPAL  
SCHOOL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY  
SITAPUR

45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सब 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।

- ✓ संस्था को (3090 प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से आगामी सब हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, 3090, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 3090 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 3090 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैंजिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा

  
 PRINCIPAL  
 COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY  
 SITAPUR

M/30021

ए0आर्हु0सी0टी0ई0/पी0सी0आर्हु0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।

- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पू0सं0- शाशिपा/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक SITAPUR SHIKSHA SANSTHAN (SCHOOL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY), RASYORA, SITAPUR



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव



PRINCIPAL  
SCHOOL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY  
SITAPUR

**कार्यालय,****प्रवि. प्राविधिक शिक्षा परिषद,****उत्तर प्रदेश, लखनऊ।**

संख्या:- प्रावि/परिषद/सम्बद्धता/2022/7817

लखनऊ, दिनांक: 30/08/2022

**:-कार्यालय स्तर:-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल और इन्जिन्य. नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2022-23 हेतु द्विपक्षीय स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार, पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य सटी पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30/80 लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु नियुक्तित हार्दों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2246-SITAPUR SHIKSHA SANSTHAN (SCHOOL OF ENGINEERING &amp; TECHNOLOGY)

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए0अ0इ0ओ0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता		परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	
		हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60	60	60
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60	60	60
3	ELECTRONICS ENGINEERING	30	30	30	30
4	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	60	60	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए0अ0इ0ओ0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमनवली 1982, विनियमनवली-2000, सेमेस्टर विनियमनवली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय हार्दों पाठ्यक्रम हेतु रु0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से वसूल किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेशों पसकी होगी, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। शिक्षा निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जा रहा है, जो फीस की सर्वोत्तम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निर्देशना एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, 30/80, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 30/80 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30/80 द्वारा किये गये नियमों, विनियमों, अदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

  
 PRINCIPAL  
 SCHOOL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY  
 SITAPUR

- ✓ यदि संस्था का ए0आइ0सी0टी0ए0पी0सी0आइ0 से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग इस्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में सा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिभूति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिभूति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए0आइ0सी0टी0ए0पी0सी0आइ0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर/द्वितीय प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आदेशों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्रदान किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-विकास हेतु उपयुक्त साजसज्जा उपलब्ध कराने के साथ रेगिस्टर रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था ने परस्तभिता संरक्षित पाठ्यक्रम को पढाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-अवकाश, कर्मचारी, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त बिनो जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था के प्रौद्योगिक स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, स्टाफ, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आइ0सी0टी0ए0पी0सी0आइ0 परिषद के सम्बन्धनुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।



(एच0आर0 खान)

अधिव

पू0सं0- प्राविधिक परिषद सम्बद्धता/2022/7818-8456

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक SITAPUR SHIKSHA SANSTHAN (SCHOOL OF ENGINEERING &amp; TECHNOLOGY)



(एच0आर0 खान)

अधिव



PRINCIPAL  
SCHOOL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY  
SITAPUR